Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **टोंक में सहायक उप निरीक्षक पुलिस 2 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *03 जनवरी, बुधवार* / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर टोंक इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये रामलाल, सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना अलीगढ़ जिला टोंक को परिवादी से 2 **हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (कार्यवाह महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की टोंक इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरे साले के विरूद्ध दर्ज प्रकरण का चालान न्यायालय में पेश करने की एवज में रामलाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना अलीगढ़ द्वारा **2 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस, श्री रणधीर सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी की टोंक इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेश आर्य** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम ट्रेप कार्यवाही करते हुये रामलाल पुत्र सुजाराम निवासी खुरेड़ी पुलिस थाना पीपलू जिला टोंक, हाल प्लॉट नं. 14 भगवती नगर केप्टन कॉलोनी छावनी टोंक, हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना अलीगढ़ जिला टोंक को परिवादी से **2 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस, श्री रणधीर सिंह के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ एवं आवास व अन्य ठिकानो पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (कार्यवाहक महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।